

## ‘हालांकि, भाजपा की सरकार है, हम जातिगत जनगणना का विधेयक पास करायेंगे?’

### राहुल गांधी ने लोकसभा में यह उद्घोष करके चुनौती दी सरकार को

- राहुल का तर्क था कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से, 73 प्रतिशत को शिकायत है कि, दलित, बैकवर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी, निर्धन से सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है।
- अतः 73 प्रतिशत जनसंख्या यह जानना चाहती है कि उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है और वो कैसे लाभान्वितों की श्रेणी में आ सकते हैं और सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं।
- राहुल गांधी ने यह कटाक्ष भी किया कि वो बीस अफसर, जिन्होंने बजट तैयार किया है, उस उपेक्षित 73 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
- इन अफसरों ने बजट के पहले हलवा बनाने की प्रक्रिया तो पूरी की, पर, वह हलवा वंचित जनसंख्या में नहीं बांटा।
- राहुल ने स्पीकर से यह भी कहा कि पत्रकारों को उस शीशे के पिंजरे से आज़ाद करें, क्योंकि वे अब सांसदों, मंत्रियों से लोकसभा के प्रवेश द्वार पर “बाइट” नहीं ले सकते, क्योंकि, वो केवल वही रिपोर्ट कर सकते हैं, जो पिंजरे से दिखाता है।

उन्होंने कहा कि ये 73 प्रतिशत लोग यह जानना चाहते हैं कि देश की सत्ता में उनका क्या हिस्सा है तथा वे इस सत्ता-तन्त्र के लाभार्थी तथा हिस्सा कैसे

अफसरों के साथ वित्तमंत्री का फोटोग्राफ भी दिखाया। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। राहुल ने अंबानी तथा अडाणी परिवार के अपने प्रिय विषय को एक बार फिर हथियार बनाते हुये कहा कि

जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु घेर लिया गया है, उसका नियन्त्रण छः लोग कर रहे हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष ने अडाणी तथा अम्बानी के नाम लेने पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब वे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘देश में भय का माहौल है, पर, हम भाजपा के इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करेंगे’

### राहुल गांधी ने लोकसभा में यह भी कहा कि चक्रव्यूह को नष्ट करने के प्रयास में अभिमन्यु मारा गया था, हम अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं, जो अपने प्रयास में पूर्णतया सफल होगा

- राहुल गांधी ने इस कथन को आगे ले जाते हुए यह भी कहा कि, मैंने चक्रव्यूह के बारे में काफी रिसर्च की है और यह पाया है कि उस महाभारत के चक्रव्यूह का नाम “पद्म व्यूह” भी है, जिसका मतलब, इसका स्वरूप कमल जैसा है।
- “आज इक्कीसवीं सदी का चक्रव्यूह भी कमल के आकार का है, जिसे प्र.मंत्री ने अपनी छाती पर धारण किया हुआ है।”
- तथा, जिन छः कौरव महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया था, वही आज भाजपा के महारथी नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी व अडाणी, भारत की 73 प्रतिशत दलित जनता के साथ करना चाहते हैं।

गांधी ने कहा कि “हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में छः लोगों ने अभिमन्यु को “चक्रव्यूह” के जाल में फंसाया था और उसको जान से मार दिया था। राहुल ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर शोध

कर यह निष्कर्ष निकाला कि “चक्रव्यूह” को “पद्म व्यूह” नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है “कमल स्वरूप।” “चक्रव्यूह” कमल की आकृति में बनाया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### ‘निर्देशों का पालन भर्ती एजेंसी और परीक्षार्थी का दायित्व’

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा भर्ती-2024 से जुड़े मामले में कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा के निर्देशों की पालना करना भर्ती एजेंसी व परीक्षार्थी दोनों का ही दायित्व है। भर्ती परीक्षा की

- हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए आर.जे.एस. परीक्षा के अभ्यर्थी पायल व अन्य की याचिका खारिज कर दी। इन अभ्यर्थियों ने ओ.एम. आर. शीट में अधूरे भरे गोलों को पूरा भरने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी।

ओ.एम.आर. शीट को जांचने का काम मशीन करती है और इसमें अधूरे छोड़े गए गोलों को मशीन नहीं पढ़ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी यह व्यवस्था दे चुका कि हाईकोर्ट भर्ती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### ‘ऑफ इयूटी काम में करंट लगने पर क्लेम नहीं मिलेगा’

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। जिले की स्थाई लोक अदालत ने ऑफ इयूटी में अवैध तरीके से बिजली लाइन का काम करने के दौरान करंट लगने वाले संविदाकर्मी को राहत देने से इनकार करते हुए उसका 90.50 लाख रुपए का क्लेम खारिज कर दिया है। लोक अदालत ने फैसले में कहा कि परिवादी ने बिजली लाइन का काम बिना किसी आदेश व इयूटी के अपनी मर्जी से किया है और उसे बिजली लाइन का शट डाउन प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। उसे केवल जी.एस.एस. परिसर में ही काम करने के लिए संविदा पर रखा था, लेकिन उसने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर अवैध तौर पर बिजली लाइन का काम किया और उस समय ही उसे करंट लगा। ऐसे में हादसा उसकी लापरवाही से हुआ है और वह किसी क्षतिपूर्ति राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अनुप कुमार सक्सेना व दीपक चाचान ने यह आदेश श्याम सुन्दर रूपडला के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिया।

प्रार्थना पत्र में जे.वी.वी.एन.एल. व के-3 कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए कहा कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी के बैंक काम करता है। इस दौरान वह बिजली लाइन का काम कर रहा था तो इयूटी कर्मचारी मुकेश ने लापरवाही से बिजली लाइन को चालू कर दिया, जिससे वह करंट से झुलस गया और उसका बाया हाथ कंधे से काटना पड़ा। इस कारण आई निशकतता से वह बेरोजगार हो गया है।

## झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

### सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने का झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश बरकरार रखा तथा ई.डी. की याचिका खारिज कर दी

-डॉ. सतीश मिश्रा -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 29 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत प्रदान की और झारखंड उच्च न्यायालय से सोरेन को जमानत के सौदे में मनीलॉफिंग के मामले में जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ दायर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) की याचिका खारिज कर दी।

- सुप्रीम कोर्ट ने ई.डी. पर तीखी टिप्पणी की, हम कुछ कहना नहीं चाहते अगर हमने आगे कुछ कहा तो आप मुश्किल में आ जायेंगे।
- ज्ञातव्य है कि जमीन के सौदे में मनी लॉफिंग के आरोप में ई.डी. ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। सोरेन ने गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया तथा जमानत पर रिहा होने के बाद 4 जुलाई को वे पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ई.डी. को भारी झटका लगा है। राजु ने यह बताने का प्रयास किया कि ई.डी. द्वारा प्रिवेशन ऑफ मनी लॉफिंग एक्ट के सैक्शन 50 के तहत रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों पर यकीन ही कर रहे हैं जो गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की बैच ने तीखी टिप्पणी भी की, “हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हमने कुछ कहा तो आप मुश्किल में पड़ जायेंगे।” सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई.डी. की याचिका खारिज कर देने से झारखंड

मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष को भारी राहत मिली है जिन्होंने 31 जनवरी को ई.डी. द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस रिस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने पर 04 जुलाई को सोरेन ने पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ई.डी. के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि अगर सोरेन को जमानत दी गई तो वे ऐसा ही अपराध पुनः करेंगे उन्होंने ई.डी. के खिलाफ एस.सी./ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कर्नाटक सरकार और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के बीच जुबानी जंग और तेज हुई

### कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के साथ पक्षपात का और केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्य सरकार पर “मिसमैनेजमेंट” का आरोप लगाया

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे जब भी आती हैं, झूठ बोलती हैं और बजट आवंटन पर भी झूठ बोल रही हैं। बजट से पहले जो वायदे किए गए थे, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- इसके जवाब में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार व आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा, यू.पी.ए. के दस साल के राज में कर्नाटक को मात्र 60,779 करोड़ रुपए मिले, जबकि एन.डी.ए. सरकार ने गत वर्ष तक राज्य को 2.36 लाख करोड़ दिए थे।

रही हैं। केन्द्र सरकार वित्तीय मुद्दों पर लगातार प्रदेश सरकार के साथ अन्याय कर रही है। भाजपा, कर्नाटक को भ्रष्ट राज्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है जबकि वास्तविकता एकदम अलग है। उन्होंने वित्तीय मंत्री पर करारा पलटवार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे बजट आवंटन पर झूठ बोल

रही हैं। केन्द्र सरकार वित्तीय मुद्दों पर लगातार प्रदेश सरकार के साथ अन्याय कर रही है। भाजपा, कर्नाटक को भ्रष्ट राज्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है जबकि वास्तविकता एकदम अलग है। उन्होंने वित्तीय मंत्री पर करारा पलटवार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे बजट आवंटन पर झूठ बोल

कि विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंड नहीं है जैसे अपर भद्रा प्रोजेक्ट।

मुख्यमंत्री ने पूछा, “पंद्रहवें वित्त आयोग ने विशेष अनुदान के रूप में 5,495 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की थी। क्या बजट में यह राशि है? कहा गया था कि बैंगलुरु में रिंग रोड के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जलाशयों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने की बात थी, क्या यह सब है बजट में?”

आंध्र प्रदेश और बिहार पर की गई विशेष मेहरबानियों का हवाला देते हुए सिद्धारमैया ने हैरानी जताई की कर्नाटक पर इतनी कृपा क्यों नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि क्या आप जानते हैं कि पंद्रहवें वित्त आयोग में सबसे ज्यादा अन्याय कर्नाटक के साथ हुआ जबकि खुद वित्त मंत्री राज्यसभा में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### कर चोरी के आरोपी को मिली जमानत रद्द

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर चोरी के मामले में आरोपी गौतम गर्ग को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह तीस दिन में निचली अदालत में सरेंडर करे। जस्टिस प्रवीर भटनागर की

- राजस्थान हाई कोर्ट ने कर चोरी के आरोपी गौतम गर्ग की जमानत रद्द करने के साथ उसे तीस दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

एकलपीठ ने ये आदेश केन्द्र सरकार की ओर से दायर जमानत रद्द करने के लिए पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में जीएसटी के वरिष्ठ अधिकता किशुक जैन ने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## मुकेश अंबानी विश्व के सबसे बड़े आम निर्यातक बने

### पेट्रोलियम, दूर संचार और खुदरा क्षेत्र के अलावा कृषि क्षेत्र में भी रिलायंस का भारी दखल

- सुकुमार साह-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 29 जुलाई। मुकेश अंबानी, जो पेट्रोलियम, टेलीकम्यूनिकेशन तथा रिटेल के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में प्रसिद्ध हैं, अब अप्रत्याशित रूप से कृषि क्षेत्र की ओर मुड़ गये हैं। रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, उनके प्रबंधक-कौशल के फलस्वरूप विश्व में आमों के सबसे बड़े निर्यातक का रूप ले चुकी है। उद्योग क्षेत्र, जो उनके व्यवसाय का मूल था, से उल्लेखनीय रूप से हटते हुये, वे कृषि क्षेत्र में विशिष्टता अर्जित करने की दिशा में बढ़ चुके हैं।
- 1997 में गुजरात की अपनी जामनगर रिफाइनरी में उल्लेखनीय प्रदूषण-परिवर्तनों का सामना करते हुये, रिलायंस इन्डस्ट्रीज ने एक अभिनव प्रतिक्रिया दी थी। पर्यावरण संबंधी प्रभावों को संबोधित करते हुये तथा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों-

- रिलायंस के कृषि क्षेत्र में उतरने की शुरुआत हुई 1997 से, जब प्रदूषण के कारण जाम नगर रिफाइनरी के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी।
- प्रदूषण से निजात पाने के लिए रिलायंस इन्डस्ट्रीज के रिफाइनरी के आस-पास की जमीन को आम के विशाल बाग में बदल दिया गया, जिसका नाम धीरुभाई के नाम पर रखा गया।
- इस बाग में आम की 200 किस्मों के 1.30 लाख वृक्ष हैं, जिनमें भारत की लोकप्रिय किस्मों के अलावा विदेशी किस्मों भी शामिल हैं।

तथा शुष्क परिस्थितियों में फलने-फूलने के लिये, रिलायंस ने कटिंग एज टेक्नॉलॉजी काम में ली गई है, जिसमें मोटे पानी के लिये डीसेलिनेशन प्लांट भी शामिल है। इसके अलावा, उन्नत कृषि तकनीकें, जैसे वॉटर हार्बोस्टिंग, ड्रिप सिंचाई तथा पर्याप्त उर्वरक आदि काम में लिये गये।

बगीचे में आमों की विविध एवं नाना प्रकार की किस्में हैं। पुरानी एवं प्रसिद्ध भारतीय किस्मों जैसे केसर, अलफांसो तथा नीलम से लेकर अनारठीय किस्मों, जैसे फ्लोडिडा के टॉपी अटकिन्स तथा इज़राइल के लिली तथा प्रतिवर्ष लगभग 600 टन बहुत ही बढ़िया आमों का उत्पादन करते हुये,

रिलायंस एशिया की अग्रणी आम-निर्यातक कम्पनी के रूप में उभरी है तथा देश-विदेश के बाजारों की माँग पूरी कर रही है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय होगा कि ‘फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफ.ए.ओ.) के अनुसार, आमों की माँग हर वर्ष 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। एफ.ए.ओ. के एक अनुमान के अनुसार, 2030 तक दुनिया में आम का कुल उत्पादन बढ़कर 840 लाख मेट्रिक टन तक पहुँच जायेगा। इसमें से आधा उत्पादन भारत में होगा। थाईलैंड तथा इन्डोनेशिया भी प्रमुख दक्षिण एशियाई आम निर्यातक के रूप प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अन्य किसी देश की तुलना में, भारत में आमों की खपत ज्यादा होगी - भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आम का उपभोग 28.4 किग्रा. होताव।

सक्रिय योगदान देती है। कम्पनी प्रतिवर्ष आम की 1,00,000 पौध स्थानीय किसानों को वितरित करती है, कृषि के नये-नये तरीकों एवं पद्धतियों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती हैं तथा कृषक समुदाय में पर्यावरणीय-प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। कम्पनी की यह पहल कृषि के उन्नत एवं नये-नये तरीकों की रिलायंस की व्यापक भूमिका को रेखांकित करती है। आम की खेती क्षेत्र में मुकेश अंबानी का प्रवेश यह स्वित्स्तर बताता है कि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट आर्थिक ग्रोथ को पोषित करते हुये पर्यावरण सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान के मामले में अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। धीरु भाई अंबानी लाखीबाग भावना को मूर्त रूप देती है, बल्कि कृषि-निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व तथा स्थाई महत्व के प्रति उसकी भावना की एक बार फिर से पुष्टि करती है।

### बारामूला में विस्फोट, चार लोगों की मौत

श्रीनगर, 29 जुलाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विस्फोट को घटना सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बारामूला के सोपोर इलाके में अचानक हुए विस्फोट में चार लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और इलाके की छानबीन की जा रही है। अभी धमाके के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार, विस्फोट सोपोर कस्बे के शेर कॉलोनी में एक कबाड़ विक्रेता की दुकान के अंदर हुआ घटना के वक्त कुछ लोग टुक से कबाड़ उतार रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि धमाके इतना जोरदार था कि दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की शिनाख्त नजीर अहमद नादर (40), आजिम अशरफ मीर (20), आदिल राशिद भट (23) और मोहम्मद अजहर (25) के रूप में हुई है। इस घटना में एक अन्य घायल भी हुआ है।